

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक एफ.2(2996)/DOIT&C/2026

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षर।

कार्यालय आदेश

स्व. श्री हेम सिंह राठौड़, (प्रोग्रामर), जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, फलोदी (राज.), का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक **03.04.2026** को निधन हो गया था। इनके पुत्र **श्री प्रवीण सिंह राठौड़ (GEN)** को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रकरण इस विभाग में दिनांक 19.05.2026 को प्राप्त हुआ। अतः श्री प्रवीण सिंह राठौड़ को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत **कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व विभाग, बिलाडा, जोधपुर (राज.)** में राजस्थान राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत **सूचना सहायक** के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (**Fixed Remuneration To Probationer Trainees**) के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रवीण सिंह राठौड़ को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017, दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 के परिपत्र एफ14(1) एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत **Schedule IV(Rule No.16)** नियत पारिश्रमिक (**Fixed remuneration**) रुपये 18500/- प्रति माह की दर से देय होंगे। इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, मँहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही सूचना सहायक को **Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017** के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स **Level-08 (First cell)** का न्यूनतम वेतनमान 26300/- रुपये निर्धारित किया गया है एवं भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(51)डीओपी/ए-11/88, पार्ट दिनांक 07.09.2009 के अनुसरण में श्री प्रवीण सिंह राठौड़ को 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिये हकदारी हेतु राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति परीक्षा निर्धारित समयावधि में उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसा न होने पर श्री प्रवीण सिंह राठौड़ की नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक श्री प्रवीण सिंह राठौड़ ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेते, तब तक उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर ही नियुक्ति तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी किन्तु किसी बकाया का संदाय नहीं किया जायेगा।

श्री प्रवीण सिंह राठौड़, द्वारा प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, वर्ष 2010 की अंकतालिका के क्रमांक सं 0114430 के अनुसार इनकी जन्म तिथि **06.07.1997 (छ: जुलाई उन्नीस सौ सत्तानवें)** है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण-पत्र राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, किन्तु महिलाओं के संबंध में किसी महिला चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक नियुक्ति दिनांक के बाद की होनी आवश्यक है।
3. श्री प्रवीण सिंह राठौड़ द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में तथा प्रस्तुत शपथ-पत्रों व दस्तावेजों के मिथ्या पाये जाने की जानकारी होने पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।



4. इन्हें प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के दौरान एवं कैलेण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक वर्ष से कम की अवधि में पूर्ण माहों के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की दर से देय होगा।
5. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल ई स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवंटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
9. श्री प्रवीण सिंह राठौड़ को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
10. चिकित्सा पुर्नभरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगी।
11. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।
12. श्री प्रवीण सिंह राठौड़ को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी शासन सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
2. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, फलोदी के पत्र क्रमांक:F-1(27)/DOIT&PLD/Estt-/Anukampa/2026 raj kaj ref no 22235582, दिनांक 15.05.2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
5. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी (पदोन्नति शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री प्रवीण सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री हेम सिंह राठौड़, (प्रोग्रामर), निवासी: 4जे28, हाउसिंग बोर्ड, प्रताप नगर, जोधपुर (राज.) 342001 (राज.) (स्पीड-पोस्ट), मो. 7062279077, ई-मेल: praveensingh671997@gmail.com को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व विभाग, बिलाडा, जोधपुर (राज), विभाग में उपस्थिति प्रस्तुत करें।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी

